महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

ज्ञान शांति मैत्री

संजय गवई
SANJAY GAWAI
वित्ताधिकारी
FINANCE OFFICER

दूरभाष/Phone : + 91-7152-230 906
फैक्स/Fax : + 91-7152-232 994
मोबाइल/Mobile : + 91-95453 35522

फा.सं.: 002/2012/निर्गत/2013-14/10/524
दिनांकः- 10.11.20214

परिपत्र

विश्वविद्यालय की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए जरूरी राशि तथा प्राप्त अनुदान के बीच अंतर को देखते हुए परिपत्र क्रमांक 002/2012/निर्गत/2013-14/10/690, दिनांक 24.09.2013 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से कुछ निर्णय लागू किए गए थे।

उपरोक्त परिपत्र के बिंदु संख्या 5 में **अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थाओं से आमंत्रित किए जाने वाले अतिथियों/अतिथि अध्यापकों को अधिकतम ट्रेन के वातानुकूलित 2 टायर का ही किराया भुगतान** किए जाने के निर्णय की सूचना दी गई थी। परंतु यह देखने में आया है कि कुछ विभागों द्वारा निर्णयों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है एवं सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बगैर ही हवाई-यात्रा का किराया देने के प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं।

संबंधित विभागों से निवेदन है कि सभी अतिथियों को अधिकतम ट्रेन के वातानुकूलित 2-टायर श्रेणी का ही किराया सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त करने के बाद भुगतान करें। विशेष परिस्थितियों में प्रस्ताव के औचित्य को स्वीकारने पर तथा सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर अपवादात्मक परिस्थितियों में ही हवाई यात्रा के किराए का भुगतान विचाराधीन लाया जाएगा।

(संजय गवई)

प्रतिलिपि-

1. माननीय कुलपति कार्यालय, म.गा.अ.हि.वि., वर्धा
2. माननीय प्रति-कुलपति कार्यालय, म.गा.अ.हि.वि., वर्धा
3. कुलसचिव कार्यालय, म.गा.अ.हि.वि., वर्धा
4. सभी विद्यापीठ/केंद्र - वेबसाइट के माध्यम से
5. प्रभारीः लीला विभाग - वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
ज्ञान शांति मैत्री

डॉ. कैलाश खामरे
DR. K.G. KHAMARE
कुलसचिव
REGISTRAR

दूरभाष /Phone : + 91-7152-230902
फैक्स /Fax : + 91-7152 247602
मोबाइल/Mobile : + 91-94228 55988

पत्रांक: 002/2012/निर्गत/2013-14/10/ 690
दिनांक: 24.09.2013

परिपत्र/सूचना

विश्वविद्यालय की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए जरूरी राशि तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से प्राप्त अनुदान के बीच अंतर को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार लिए गए निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते है-

1. ₹ 20000/- (₹ बीस हजार) अथवा उससे अधिक खर्च या वस्तुओं के क्रय का प्रस्ताव वित्त विभाग से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही सक्षम अधिकारी को भेजने की प्रक्रिया अपनाई जाए। इसको ध्यान में रखते हुए केवल अतिआवश्यक खर्च के ही प्रस्ताव भेजे जाएं।
2. किसी भी प्रकार की संगोष्ठी/चर्चा सत्र या अन्य कार्यक्रम स्थगित किए जाएं। ऐसे कार्यक्रम जो अकादमिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हों केवल उन्हीं के प्रस्ताव सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्ताव के पूर्ण औचित्य के साथ पहले से ही भेजा जाना आवश्यक है।
3. किसी भी शिक्षक, अधिकारी या कर्मी को विश्वविद्यालय के खर्च पर प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु भेजने की प्रक्रिया स्थगित की जाए।
4. किसी भी शिक्षक को संगोष्ठी/परिसंवाद के लिए अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में भाग लेने के लिए टीए/डीए, पंजीकरण शुल्क या अन्य किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
5. अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थाओं से आमंत्रित किए जाने वाले अतिथियों/ अतिथि अध्यापकों को अधिकतम ट्रेन के वातानुकूलित 2 टायर का ही किराया भुगतान किया जाएगा।

उपर्युक्त लिए गए निर्णयों में विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार निर्णय माननीय कुलपति महोदय द्वारा ही लिया जाएगा।

सभी से सहयोग की अपेक्षा के साथ।

(कैलाश खामरे)

प्रतिलिपि:- सभी विद्यापीठ/केंद्र/विभाग/अनुभाग।

पोस्ट: हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442005, (महाराष्ट्र), भारत
Post: Hindi Vishwavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha-442005, (Maharashtra), India
ईमेल/Email:- registrar@hindivishwa.org; वेबसाइट/website: www.hindivishwa.org